क्रमांक 11/14/82-2 जी. एस. III

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1-हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल।
सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (सिविल)।

2-रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़।
हरियाणा राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक, चण्डीगढ़ 15 जून, 1982

विषय :—निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के मामलों का शीघ्रता से निपटान करने बारे।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 5598 1जी.एस. 77/32569 दिनांक 10-10-1977 तथा 11/3/82-2 जी.एस. III दिनांक 19-2-82 की ओर आकर्षित करूं और सूचित करूं कि इनमें दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच आदि का कार्य 6 मास के भीतर पूर्ण किया जाना होता है और यदि उक्त अवधि में कथित कार्य पूर्ण न किया जा सके तथा निलम्बित अवधि में वृद्धि की आवश्यकता हो तो 6 मास तक कार्यभारी मंत्री और इसके पश्चात एक साल की अवधि व्यतीत होने पर मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

2. सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार करके निर्णय लिया है कि भविष्य में कार्यभारी मंत्री निलम्बन अवधि को दो साल तक बढ़ाने के सक्षम होंगे। यदि दो साल के पश्चात भी निलम्बन रखना आवश्यक हो तो मुख्य मंत्री महोदय की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। ऐसे मामलों में मंत्री परिषद की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

3. मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि सभी विभागाध्यक्ष निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के केसों को विशेष प्रयत्नों द्वारा परमअग्रता से निपटाने के लिये पैरा-1 में संदर्भित पत्र दिनांक 19-12-82 में दी गई अन्य व्यवस्थाओं का अनुसरण दृढ़ता से करें।

न्याय तथा प्रशासन विभाग के लिये

उनसे अनुरोध है कि वह न्यायालयों में लम्बित सरकारी कर्मचारियों के केसों का निपटान परम अग्रता से करने के लिये विशेष प्रयत्न करें।

एक एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों एवं वित्तायुक्त राजस्व विभाग हरियाणा को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

हस्ता/-
अवर सचिव सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार